प्रेस नोट दिनांक 31-08-2022

जनपद स्तर के दो चिन्हित टाप-10 अपराधी व थाना स्तर पर चिन्हित पर 01 टाप-10 अपराधी को प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाया गया ।

शासन के निर्देशानुसार चलाये जा रहे अभियान शिकंजा के अन्तर्गत अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में श्री अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन में, श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में **दिनांक 30/08/2022 को जनपद सिद्धार्थनगर मे वाद सं.163/2016 मु.अ.सं.528/2016 धारा 308,323,325 भादवि, पंजीकृत थाना खेसरहा में** आरोपित 04 अभियुक्तगण को प्रभावी पैरवी कराकर दण्डित कराया गया । उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण रोजन अली, सोजन अली, हबीबुल्लाह, सकरुन्निशा निवासीगण.............थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को माननीय न्यायालय **अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बांसी, सिद्धार्थनगर श्री मो सफीक जी** द्वारा उक्त सभी अभियुक्तगण को 06-06 वर्ष का कठोर कारावास तथा प्रत्येक अभियुक्त को रुपये 45,500/-**(पैंतालिस हजार पांच सौ रूपये)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । **जिसमें से** रुपये **75000/- पीड़िता/वादिनी को देने का भी आदेश पारित किया गया है ।** जिसमें पैरवीकार **.......................**, विवेचक थाना खेसरहा उ0नि0 .... व पैरोकार .... का सराहनीय योगदान रहा ।